Value of stamps.

(प्र० ५६२।)

देवेन्द्र

थाना- महेशलिया

आदेश-पत्रक

(बेंगे अधिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक ... सं० ..... से ..... तक

जिला ..... Ccl ....., सं० ..... 113 ....., सन् १९ 86-87

केस का प्रकार .....

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
१	२	३
4.12.87	Requisition for filing Certificate, received from ..... for a demand amounting to Rs. ..... Certificate Singed Issue notice u/s. 7 of the P. D. R. Act 1914 fixing ..... [illegible] अभिवेदन पिपरवार के [illegible] ने पत्र सम्पर्क दर्शाकर प्रयास में हैं अतः लाभ-लाभ कुर्की प्रक्रिया [illegible] निर्गत करें सहायक कलेक्टर आफिसर दुमका, (सं० प्र०) कुर्की आदेश देश। ले 22/2/87	XI 99862 XI 99862
96.9.87	कुर्की परवाना [illegible] 30.3.87 तक जारी करने के लिए अंचल अधिकारी महेशलिया को भेजें।	XI 7283

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की टिप्पणी
243	अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार एक आवेदन पत्र दिये हैं देखा में 250=00 (दो सौ पचास) रुपया बतौर 88 दिनांक 10.2.12 को जमा किये हैं। जिसकी प्रति अभिलेख में संलग्न है। इनका परस्पर कहना है कि 250=00 (दो सौ पचास) रुपया अंतिम बकाया में जमा किये हैं। बाकी रुपये हेतु किस्त का अनुरोध करते हैं कारण उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। देनदार की आर्थिक हालत को देखते हुए उन्हें 250 (दो सौ पचास) रुपये मासिक किस्त किया जाता है। किस्त का रकम प्रत्येक डिग्रीदार को 10 तारीख तक जमा करें। किस्त डिग्रीदार पर पूरी राशि का भुगतान निर्गत किया जाएगा। अंतिम भुगतान वापस हेतु पत्र निर्गत करें। लिखाया।	

सिपाही

क्लर्क

बुक नं० 323/65-66
नाजीर रसीद सं० - 8209
दिनांक 25/2/12 को
250/- (दो सौ पचास)
रुपया जमा किये है।

C.O.
23/3

XIV—Form No. 563.

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, पटना। (दो०पी०)

Serial number and date of order. 1	Order and signature of officer. 2	Note of action taken on order. 3
	इतने कम रकम के लिए किस्त नहीं किया जा सकता है। देनदार को आदेश दिया जाता है कि पूरा रकम एकमुश्त जमा करें। 22.7.25 नि० प० पदा०	
61	देनदार ने चालान नं० 29 दिनांक 23/3/61 को 100) एक सौ रुपया जमा कर चुके है। चालान की प्रति अभिलेख में संलग्न है। बकिये रकम के लिए 30 जून तक दे देने का वादा करते है। अतः तब तक के लिए कुर्की परवाना स्थगित है। अं० आदि० संलेखा को पत्र दिया जाय। लिखापा नि० प० पदा०	निर्गत पत्रांक 30 दिनांक 23/3/61
	नि० प० पदा०	
	निर्धारित तिथि तक कुल रुपया जमा कर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समय सम्पूर्ण राशि जमा नहीं हुआ इनके विरुद्ध कुर्की परवाना निर्गत किया जाय। लिखा प्रस्तुत की। 23.7.25 नि० प० पदा०	

बिहार गवर्नमेंट प्रेस

Schedule XIV—Form No. 563.

Serial number and date of order. 1	Order and signature of officer. 2	Note of action taken on order. 3
3.6.87	पूर्व आदेशानुसार ठेकेदार ने बकाये राशि का जमा नहीं किया। बकाये सम्पूर्ण राशि की वसूली हेतु कुर्की परवाना निर्गत करें। दिनांक 30.6.87 तक जारी हेतु कुर्की परवाना अंचल अधिकारी बसाढ़िया को भेजें।	X/2
	ह० / पदा०	
	अभिलेख उपस्थापित किया गया। कुर्की परवाना तामिला के पश्चात वापस नहीं आया है। स्मारदे एवं अभिलेख दिनांक 25.2.88 को उपस्थापित करें।	
	ह० / पदा०	
10.12.87	स्वतः कुर्की परवाना जारी करें। अंचल अधिकारी बसाढ़िया को दिनांक 31.1.88 तक तामिला हेतु भेजें।	कुल — 200 कुर्की — [illegible] खर्च — 9
	ह० / पदा०	
12.12.88	अभिलेख आज पुनः उपस्थापित। ठेकेदार द्वारा कोई कुर्की प्रतिवेदन नहीं करने के आधार पर कोई कुर्की परवाना निर्गत नहीं किया गया, परन्तु अंचलाधिकारी प्रतिलिपि की जारी तामिली अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ठेकेदार को नोटिस दें कि अधिपत्रित रकम दि. 30-12-88 को जमा करें अन्यथा प्रतिवेदन कार्यालय को वसूली की कार्रवाई क्यों नहीं की जाय।	
	ह० / पदा०	

Form No. 563

Serial number and date of order. 1

4-66
182
मो
(1)
है

XIV—Form No. 563.

बिहार गवर्नमेंट प्रेस पटना। (दो०पी०)

Serial number and date of order. 1	Order and signature of officer. 2	Note of action taken on order. 3
8.2.29	अभियुक्त आज प्रस्तुत किया गया। तारीख कार्रवाई का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। व्यक्तिगत तारीख प्रार्थी के वाकफुल हेतुवश निर्धारित तिथि को वे उपस्थित हुआ करते हैं और आगे पत्र भी दिया। अतः हेतुवश विलम्ब हुई परन्तु निर्धारित की गई तिथि दि. 28.3.29 को जाती है। अन्वेषणाधिकारी मुकदमा को लेकर	अ— 800=00 सु— 220=00 29— 96=92 1086=92 XI 2298
.29	हुंडी जाती का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अन्वेषणाधिकारी मुकदमा को लेकर दि. 28.3.29 को अभियोक्त प्रस्तुत करें।	D.B. 520 30.3.81.
.4.29	अभियुक्त आज प्रस्तुत किया गया। हुंडी जाती का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अन्वेषणाधिकारी मुकदमा को लेकर दि. 28.5.29 को अभियोक्त प्रस्तुत करें।	D.B. 885 4-6-81
29	अभियुक्त आज प्रस्तुत किया गया। हुंडी जाती का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अन्वेषणाधिकारी मुकदमा को पुनः लेकर दि. 4.7.29 को अभियोक्त प्रस्तुत करें।	D.B. 1381 24.8.81.

Schedule XIV Form No. 563.

बिहार गवर्नमेंट प्रेस

Serial number and date of order. 1	Order and signature of officer. 2	Note of
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

R.B. 1685 / 18.11.81.

असल - [illegible]
सूद - [illegible]
खर्च - [illegible]
योग - [illegible]

XI / 787 [illegible]

R.B. - 357 / 13-3-82

आदेश फारम सं० ५६३ ।

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया । (डो०पी०)

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ ।
१	२	३
8.6.82	अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। मुंशी प्रकाश कोर्ट जाकी का प्रस्तुतकर्ता। अतः प्रार्थी मुकदमा के दावेदार को विरुद्ध 10 दिनों प्रस्तावित नोटिस करने हेतु आदेश दिया जाता है। अब 10 दिनों प्रस्तावित नोटिस करने के पूर्व धारा 43 की नोटिस निर्गत कर एवं दि. 7.6.82 को प्रस्तुत करें।	fee - 800.00 Ad - 320.00 Cost - 18.65 XI/186 dt 11.6.82
34	नी. प्रकाश	
2	अर्थी नोटिस तामील का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ। दावेदार द्वारा नोटिस तामील तथा 14 दि. 5.7.82 द्वारा हुए खर्च 100/- रु. दावी प्रकाश जमा किया। मुकदमा समय के लिये आदेशित किया है। अब दि. 5.7.82 को प्रस्तुत करें।	
	नी. प्रकाश	
5.7.82	अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। दावेदार द्वारा दावा लेकर प्रार्थी को जवाब नहीं दिया गया है। अतः R. 57/83 बनाम करने के लिये दावेदार को नोटिस दे अग्रिम पूर्व निर्गत नोटिस धारा 43 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। दि. 57/83 को प्रस्तुत करें।	XI/688 Notice
	नी. प्रकाश	

बिहार गवर्नमेंट

अनुसूची १४—फारम सं० ५६३।

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2-8-83	देनदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से नोटिस प्राप्त किया गया है। नोटिस प्राप्ति के बाद भी निर्धारित तिथि को न तो उपस्थित हुआ है और न किसी प्रकार का आवेदन ही दिया है। अतः देनदार के विरुद्ध स्वतः गिरफ्तारी परवाना निर्गत करें एवं दिनांक 2-10-83 तक तामिला हेतु थाना प्रभारी, असोथर को भेजें। दिनांक 2-10-83 को प्रस्तुत करें। लिखाया नी० प० पदा० नी० प० पदा०
5-3-85	देनदार ने जानबूझ कर राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। सेनापत्ति में गिरफ्तारी वारंट बकुली हेतु थानाप्रभारी, थाना को निर्गत कर दिनांक 15-4-85 को अग्रसारित करें। नीलाम पदाधि०
15-4-85	थानाप्रभारी, थाना तामिला प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः दिनांक 30.5.85 को अग्रसारित करें। नीलाम पदाधि०
25-5-85	बिना तामिला का वारंट प्राप्त हुआ समय 1 माह बीत गया है। दिनांक 30.6.85 को अग्रसारित किया जाता है। निर्गत करें। नीलाम पदाधि०

XI/126 B/W

XI/605

सूची — फारम सं० ५६३।

बिहार गवर्नमेंट प्रेस (ऑफसेट), गया।। (डी. पी.)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ ३
[illegible]	तामीला प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। [illegible] [illegible]	402 9-6-24
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	X/471. Notice.
9-4-4	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	X/647. B/W.
26	तामीला हेतु प्रतिवेदन [illegible] [illegible] [illegible]	X/961. Notice.
9-4-2	प्रतिवेदन हेतु [illegible] [illegible] [illegible]	X/1201 Note
9-4-4	तामीला प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। [illegible] 18-10-24 को पुनः [illegible]	X/1228 B/W.

अनुसूची १४—फारम सं० ५६३।

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई टिप्पणी
	थानाप्रभारी ने [illegible] मोटरसाइकिल [illegible] मोटरसाइकिल [illegible]	X/ 1634 B/W. 97 / 93-7-94
7/8/9	न्यायालय द्वारा [illegible] थाना प्रभारी को सुपुर्द [illegible]	
10.12.88	देनदार ने शेष बकाये राशि का भुगतान नहीं किया है। पुनः वसूली हेतु [illegible] स्वयं वारंट भेजें।	X/ 1334 B/W.
4/4/88	देनदार ने अभी तक कुल बकाया का भुगतान नहीं किया है अतः देनदार पर वसूली हेतु B/W निर्गत कर थाना प्रभारी को भेजें।	X/ 423 B/W 4/88

प्रपत्र सं० ५११।

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, पटना। (डी०पी०)

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
30/7/88 दोनों पक्ष द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं हुआ है। अतः दोनों पक्ष सुनी: श्री निर्णायक अधिकारी, अधिवक्ता श्री गोविन्द 17/8 को बजे दिन। निर्णयादेश	1077/13/w
30/8/88 देनदार ने अपने देय राशि भुगतान के विरुद्ध एक आवेदनपत्र दाखिल कर अनुरोध किया है कि फिलहाल मुझे भुगतान के लिये समय दिया जाय। अभिलेख दिनांक 30/9/88 को रखिये। निर्णयादेश	
देनदार को समय भुगतान के लिये दिए जाने के विरुद्ध शेष राशि भुगतान नहीं किया है पुनः वादी पक्ष की बारह प्रतिशत दिनांक से खर्च की रकम	150 / 150 रुपये
17.3.89 निलाम पदाधिकारी	

तारीख की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	तारीख पर की कार्यवाही
1	2	
20.9.89	शेष बचाये वादिया का मुआवजा भुगतान किया है। वसूली कोर्ट फीस व्यवस्था प्रमाणी, नस्तीलेख की जाकी हेतु भेजें। नियमित 20.11.89 को पेश। रखें।	5.00 P.M.
1.5.90	वसूली हेतु शेष निर्धारित अर्थदण्ड वसूली की कोशिश। नियमित अपील पर सुनवाई। रखें।	3.00 P.M.
12/6/90	शेष राशि के लिए अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पत्र पेश किया जिसमें सूचित करते हुए कि कुल अधिग्रहित का 90% भाग राशि भुगतान कर दिया गया है। शेष राशि भुगतान हेतु समय चाहते हुए एवं निर्धारित वाद वापस हेतु अनुरोध करते हुए।	

यह केस 77-78 वाले ओल्ड में कुल क्रमांक नहीं आये हैं। इन्हें ~~कुल क्रमांक नहीं आये के बाद ही वाद~~ आदेश वापस लिया जायेगा। 30.6.90 को रखें। आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

14.6.90

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

देनदार के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा एक आवेदनपत्र दाखिल किया गया जिसमें प्रार्थना किया गया है कि चूंकि सरकार ने कृषि कर्ज की माफी की घोषणा कर दी है इसलिए यह मुकदमा जो कृषि कर्ज से संबंधित है खारिज किया जाय तथा कर्ज देनदार के विरुद्ध निर्गत कोर्टवारंट वापस करने का आदेश दिया जाय।

विज्ञ अधिवक्ता को सुना। कृषि कर्ज माफी के संबंध में सरकारी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए मुकदमा खारिज करने का प्रश्न नहीं उठता है। सरकार ने ऐसी घोषणा की है इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में देनदार के आवेदनपत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कोर्टवारंट का कार्यान्वयन एक माह के लिए स्थगित किया जाता है। आज से ठीक एक माह के बाद अर्थात 25.2.91 तक यदि सरकारी अधिसूचना प्राप्त नहीं होती है तो पुनः कोर्टवारंट का कार्यान्वयन होगा और देनदार का कर्ज की राशि नहीं देने के धारणा के मुताबिक वसूल किया जायेगा।

प्रोबेशन विकास पदाधिकारी गसलिया को अग्रसारित करें।

आज्ञा लिखा। दिनांक 25/2/91 को दिया।

डिक्री पदाधिकारी

निष्पादन पदाधिकारी

अनुसूची १४—फारम सं० ५६१।

बिहार गवर्नमेंट प्रेस,

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी, जारी की तारीख
१	२	३
	आज अभिलेख ग्रा० ३५ (चालीस) वर्ष बाद द्वारा पुनः देख कर उपयोगी नहीं विचार है। रोका गया देख रेख करते हैं। ~~[illegible]~~ नोटिस जारी निर्गत करें। दि० 13/3/94 को रखें।	20/4 / 14/3/94
15.3.94	नोटिस का तामिला प्राप्त नहीं हुआ उक्त जानकारी के अगले दे अभिलेख 18/4/94 को रखें।	
18.4.94	नोटिस बिना तामिला प्राप्त हुआ तामिला की विधि प्रावधान का नोटिस भेजे अभिलेख 18-6-94 को मंगें।	202 / 24-5-94
27.7.95	अभिलेख काफी पुरानी। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त। सभा के अभिलेख 8-9-95 को रखें।	

अ० वि० पदाधि०

नी० पदाधि०

आदेश की तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
१	२	३
	अभिलेख आज उपस्थापित। नोटिस का तामिला अप्राप्त। पुनः सम्यक नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 30.9.96 को रखें। नी० पदा०	XI 976 Date 24.8.96
30.9.96	नोटिस का तामिला अप्राप्त। स्मा० दे अभिलेख 15.11.96 को रखें।	
पुनश्च:	नोटिस का तामिला प्राप्त। देनदार अनुपस्थित। देनदार द्वारा राशि जमा करने की सूचना अप्राप्त। राशि वसूली हेतु सम्यक B/W निर्गत करें। अभिलेख निर्देशित तिथि को रखें। नी० पदा०	XI 1513 Date 24.X.96
3.3.97	अभिलेख आज उपस्थापित। B/W का तामिला अप्राप्त। पुनः सम्यक B/W निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 29.4.97 को रखें। नी० पदा०	XI 515 Date 11.4.97
29.4.97	B/W का तामिला अप्राप्त। स्मा० दे अभिलेख दिनांक 20.6.97 को रखें। नी० पदा०	

अनुसूची १४—फारम सं० ५६३।

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया।

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के ३
20.6.97	B/W का नालिश अप्राप्त। पुनः स्मरण B/W निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 15.10.97 को रखें।	सं 1075 date 20.9.97
15/6/98	अभिलेख आज उपस्थापित देनदार पर वसूली हेतु B/W निर्गत कर बारंट का पदा० के माध्यम से भेजें। प० सि० पदा० की पंजी X तथा पंजी X अवाप्त हेतु सिरेवं अभिलेख 30/7/98 को रखें।	सं 679 date 22.6.98
7/3/02	अभिलेख आज उपस्थापित देनदार को नोटिस की दिनांक 10/4/02 को रखें	4158 7/3/02
1.03	अभिलेख उपस्थापित नोटिस का तामिला अप्राप्त स्वतः नोटिस की दिनांक 28/4/03 को रखें	194 29.1.03
	अभिलेख उपस्थापित नोटिस का तामिला प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर देनदार की मृत्यु हो गयी	

देखी.

अधियाची पक्ष से केवल के वारिसान का नाम पता प्राप्त की दिनांक 30/5/03 को रखी

DB 198 14.6.03

1.9.03 अधि० पक्ष से प्रतिवेदन अप्राप्त स्मार दी दिनांक 29.10.03 को रखा

DB 364 1.9.03

27.05.05 अभिलेख उपस्थापित। अधि० पक्ष से प्रतिवेदन अप्राप्त स्मार दी। अभिलेख दिनांक 25/6/05 को रखा

27.05.05

DB 838 27-5-05

28.03.06 अभिलेख भाग उपस्थापित। अधि० पक्ष के प्रतिवेदन अप्राप्त। ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ को अभिलेख दिनांक को रखी

28.03.06 नी० पक्ष०

अभिलेख उपस्थापित। अधियाची पक्ष से प्रतिवेदन अप्राप्त स्मार दी। अभिलेख दिनांक को रखी।

नी० पक्ष०

[illegible] 8.6.10 [illegible] जिला पंचायत [illegible] के माध्यम से [illegible] प्राप्त संबंधित देनदार को वसूली हेतु नोटिस निर्गत करें।

अ० अ०

24.6.10 अभिलेख उपस्थापित।
देनदार को वसूली हेतु नोटिस निर्गत करें।
दिनांक 7.6.10 को अभिलेख उपस्थापित करें।

अ० अधि०

7.6.10 अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस का तामिला अप्राप्त। देनदार से वसूली हेतु पुनः नोटिस निर्गत करें।

7/6/10
अ० अधि०

18/7/11 अभिलेख उपस्थापित।
देनदार को वसूली हेतु नोटिस निर्गत करें।
दिनांक 8/8/11 को रखें।

18/7/11
अ० अ०

09/11 नोटिस यह कह कर वापस किया गया है कि देनदार की मृत्यु हो गयी है। उनके कर्मचारी से देनदार के वारिसान का पता प्राप्त करें।
दिनांक 29/10/11 को रखें।

अ० अ०

29.10.11 अभिलेख उपस्थापित
नोटिस का तामिला ए० कर्म० के माध्यम
से कर वर्तमान वारिसानों का पता करें
दिनांक 31-12-11 को रखें

कार्य० अ०

31.12.11 अभिलेख उपस्थापित।
देनदार के पारिवार से वसूली हेतु नोटिस
ए० कर्म० के माध्यम से निर्गत करें
दिनांक ____ को रखें।

कार्य० अ०

अभिलेख उपस्थापित।
देनदार को वसूली हेतु नोटिस निर्गत करें
दिनांक ____ को रखें।

कार्य० अ०

अभिलेख उपस्थापित। देनदार से
वसूली हेतु गार्नेशी निर्गत की —
अग्रिम तिथि को रखें —

मा० अ०
मजिस्ट्रेट

अभिलेख उपस्थापित। गार्नेशी का
तामिला आधार। अभिलेख
दिनांक को रखें।

मा० अ०
मजिस्ट्रेट

5/10/12 अभिलेख उपस्थापित। गोष्य का तामिला अदाद। प्रतिदा की। अभिलेख दिनांक 20/2/13 को रखी।

आ० अ०
महलिक

20/2/13 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख दिनांक 24/3/13 को रखी।

आ० अ०
महलिक

24/3/13 अभिलेख उपस्थापित। देय राशि की वसूली हेतु पुनः स्वयं गोष्य निर्गत करें। अभिलेख दिनांक को रखी।

आ० अ०
महलिक

4/2/15 अभिलेख उपस्थापित। पुनः राशि की वसूली हेतु स्वयं गोष्य निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 4/3/15 को रखी।

आ० अ०
महलिक

18/6/15
29/11/16 अभिलेख उपस्थापित। गोष्य तामिला अदाद। पुनः स्वयं गोष्य निर्गत करें।

29/11/16

आ० अ०
महलिक

9/9/17 अभिलेख उपस्थापित। गोष्य तामिला अदाद। पुनः स्वयं गोष्य निर्गत करें। अभिलेख दिनांक को रखी।

आ० अ०

2000 अभिलेख उपस्थापित पुनः राशि वसूली हेतु स्वच्छ नोटिस निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक को रखें।

16/8/22
अ० अ०
मसलिया

अभिलेख उपस्थापित देनदार की बकाया राशि वसूली हेतु पुनः स्वच्छ नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक को रखें।

8/8/22
अ० अ०
म०

25.8.2022
JR NO- JE/02
464572 द्वारा कुल 1150=00 (ग्यारह सौ पचास रुपये) प्राप्त

लेखापित उपस्थापित
देनदार देवेन्द्रनाथ महतो पिता - सनातन महतो, पौता संजीव कुमार ग्राम भगाहीड़, अंचल मसलिया द्वारा कुल 1150=00 (ग्यारह सौ पचास रुपये) जमा करने का कबूल है।
अतः एवं अंचल नाजिर राशि प्राप्त कर नाजिर रसीद निर्गत करें। अभिलेख सी० सी० वाद सं० 113/74-78, 69/2009-10 की कार्रवाई बंद की जाती है। संचिकास्थ करें।
लेखापित।

अचल अधिकारी
मसलिया

25/8/22
अचल अधिकारी
मसलिया

25/8/22

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी

मसलिया।

विषय :- बकाया राशि भुगतान करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं संजीव कुमार पिता- स्व० सुनील कुमार महतो ग्राम- भंगाडीह पो० - शिकारपुर पं० - आमगाछी अंचल + थाना - मसलिया, जिला - दुमका झारखंड के निवासी हूँ। मेरे दादाजी स्व० देवेन्द्र नाथ महतो पिता - स्व० सनातन महतो के नाम पर योजना का निर्माण कराया गया था, उसमें से कुछ बकाया राशि - 860 (आठ सौ साठ) रुपये मात्र अंचल कार्यालय के द्वारा भुगतान करने का आदेश प्राप्त हुआ है। मैं अपने दादाजी का बकाया राशि 860:00 रुपये अंचल कार्यालय को जमा कर रहा हूँ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मेरे दादाजी स्व० देवेन्द्रनाथ महतो का बकाया राशि भुगतान लेने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

नाम - संजीव कुमार

पिता स्व० सुनील कुमार महतो

ग्राम - भंगाडीह

पो० शिकारपुर

पं० आमगाछी

दिनांक 25/8/2022

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नाजिर रसीद

JE 02 464575

अनुसूची 14- फारम नं० 511

जिल्द संख्या 01/22-23 वर्ष 20 22 23

किससे प्राप्त हुआ देवेन्द्रनाथ महतो पिता - स्वर्गीय महतो

किस मद नीलाम वाद सं० 113/74-75, 69/2009-10

श्रीर्ष 2029 के रोजनामचा के पृष्ठ सं० 14 पर दर्ज किया गया।

अंचल अधिकारी
दीपा मसलिया
25/8/22

	रकम
	रु० 1150=00 पै०
नगद	1150=00
स्टाम्प के रूप में	
कुल	आठ सौ पचास रुपये मात्र

(केवल ..... रुपये ..... पैसे)

प्राप्त कर्ता पदाधिकारी।

तारीख 25/8/ 20 22

SPL/2013

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2024.07.09 12:13:01 +05:30
Location: 192.168.31.157